



...the name you can BANK upon!



Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 12.02.2024

Dear Sir(s),

Reg: Newspaper Publication- Detailed Notice of Extraordinary General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the Detailed Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank published in Business Standard (English and Hindi) on 10.02.2024.

The above information is being submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you
Yours faithfully,

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Encl: A/a



pnbindia.in

T: 011 28075000, 28045000

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
Corp. Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India



pnbindia.in



www.pnbindia.in

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon !

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Business Standard 10 FEBRUARY 2024

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

... नारी का प्रतीक

punjab national bank

...the name you can BANK upon

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting

This has reference to our Newspaper Notice dated 05.02.2024 (published on 06.02.2024) regarding the Extraordinary General Meeting of Punjab National Bank to be held on **Tuesday, 05th March, 2024 at 11.00 a.m.** (IST) through Video Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the relaxations accorded by MCA and SEBI, to transact the following business:

- To consider and approve raising of equity capital for an amount aggregating upto ₹7500 crore (including share premium) in one or more tranches during FY 2024-25 through Qualified Institutions Placement (QIP)/Follow-on Public Offer (FPO) or any other permitted mode or a combination thereof in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate, in accordance with the applicable Acts/Regulations/Guidelines and subject to receipt of all requisite approvals and the shareholding of Govt. of India not falling below 52%, by way of Special Resolution.
- To consider and approve the appointment of Director under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in accordance with the provisions of Regulation 17(1C) of the SEBI (LODR) Regulations, by way of Ordinary Resolution.

Notes:

- Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HQ/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HQ/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 and SEBI/HQ/CFD/CMD2/CIR/2022/82 dated 13th May, 2022 and MCA General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 read with its preceding Circulars, the detailed Notice of the EGM has been sent only through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).
- A copy of the detailed Notice of the EGM is available on the website of the Bank i.e. www.pnbIndia.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseIndia.com and www.nseIndia.com.
- Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
- No person shall be entitled to attend the EGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at hosd@pnb.co.in OR to the Scrutinizer by e-mail to ashugupta.cs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, 29th February, 2024.
- In compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is providing its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the EGM.
- As already informed vide Notice dated 05.02.2024, the Cut-off Date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the aforesaid Agenda Items is **Tuesday, 27th February 2024**.
- The Shareholders holding shares as on the Cut-Off Date may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting in respect of agenda item(s) during the EGM. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Notice of EGM and holding shares as on the Cut-Off Date, may follow the procedure as provided in the Notice of the EGM for obtaining the login ID and password for e-voting.
- The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on **Friday, 01st March, 2024 and end at 05.00 p.m. on Monday, 04th March, 2024** and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time.
- In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again during the EGM.
- In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- Shareholders holding shares in physical form as on the Cut-off date and/or those who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM.
- Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending an email at beetalrtag@gmail.com and holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
- In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the EGM through VC, shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com or at telephone nos.: 022-48867000 and 022-24997000.
- For all the information relating to the EGM, Shareholders are requested to visit Bank's website i.e. www.pnbIndia.in.

By order of the Board of Directors

For Punjab National Bank

Place: New Delhi

Date: 09.02.2024

(Ekta Pasricha)

Company Secretary

बिज़नेस स्टैंडर्ड 10 फरवरी 2024

पंजाब नेशनल बैंक  punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक... ..the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
(ई-मेल आईडी: hosd@pnb.co.in)

असाधारण आम बैठक की सूचना

यह सूचना एमसीए एवं सीबी द्वारा दी गई छूट के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अथवा ऑडियो विड्युअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 05 मार्च, 2024 को सुबह 11.00 बजे (नामास) को होने वाली पंजाब नेशनल बैंक की असाधारण आम बैठक के संदर्भ में हमारे सम्पादन पत्र सूचना दिनांक 05.02.2024 (06.02.2024 को प्रकाशित) के संदर्भ में है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित कारों का संचालन करना है।

- क) अर्द्धावधत संरक्षणित स्थान (बम्यूआईसी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से या किसी अन्य अनुमत विधि या उसके समोपार्ग से इस प्रकार और ऐसे निम्नलिखित एवं बात पर जो लागू अधिनियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार उचित समझे जाएं और सभी अपेक्षित अनुमोदन के अधीन तथा भारत सरकार की शेषस्थारिता प्रविष्टि को 52% से कम किए बिना, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विशेष संकल्प के माध्यम से एक या अधिक किस्तों में ₹7500 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) तक की किसी समग्र राशि के लिए इविटरी पूंजी जुटाने पर विचार करना और अनुमोदन देना।
- ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(1सी) के प्रावधान के अनुसारल में साधारण संकल्प के माध्यम से, निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदित करना।

टिप्पणियाँ:

- सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अनुसार तथा MCA के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित ईजीएम की विस्तृत सूचना उन सभी शेषस्थारकों को केवल ईमेल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल पते उपरोक्त परिपत्र के अनुसार बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।
- ईजीएम की विस्तृत सूचना की प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात www.pnbIndia.in स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात शेयरार्ड लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई गई है।
- शेषस्थारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और सहभागिता कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेषस्थारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं वोटों) विनियम, 2000 के विनियम 58 के अंतर्गत कोलन की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश विस्तृत सूचना में उल्लिखित हैं।
- कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कोरपोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति बैंक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात मंगलवार, 29 फरवरी, 2024 को समाप्त समय अर्थात शाम 5.00 बजे या से उससे पहले शेयर विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, पृथी विंग, दूसरा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 को संबोधित करते हुए हार्ड कोपी में बैंक में जमा किया गया हो या hosd@pnb.co.in पर ई-मेल द्वारा या संवीक्षक को ई-मेल evoting@nsdl.com तथा hosd@pnb.co.in को प्रति मार्ग करतो हुए ashugupta.cs@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजी गई हो।
- एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, बैंक अपने शेषस्थारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधन (ईजीएम) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। शेषस्थारकों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन करें।
- जैसा कि दिनांक 05.02.2024 के नोटिस के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है, उपर्युक्त कार्यसूची मद्द के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेषस्थारकों को वाज्त निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 27 फरवरी 2024 है।
- कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखने वाले शेषस्थारक ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर शेषस्थारकों/लाभकारी मालिकों (डिपॉजिटरी) द्वारा बनाए गए के रजिस्ट्रार में दर्ज है, केवल ही ही ईजीएम के दौरान कार्यसूची मद्द के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति, जो बैंक की शेषस्थारक करता है और ईजीएम की सूचना ई-मेल करने के बाद शेषस्थारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईजीएम की सूचना में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 05 मार्च, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 04 मार्च, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी और इस तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ई-वोटिंग नियमों के अनुसार, केवल उन शेषस्थारकों को, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं खला है और अगुथा उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं गया है, को वोट देने की अनुमति दी जाएगी। ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एक शेषस्थारक रिमोट ई-वोटिंग में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे शेषस्थारक को ईजीएम के दौरान दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा बैंक को कोई भी शेषस्थारक अपने शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक बैंक को सभी शेषस्थारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से अधिक धारिता उसके पास है। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, जो वोटिंग के संबंध में रजिस्ट्रार में सबसे पहले नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
- कट-ऑफ तिथि के अनुसार मौलिक रूप में शेयर रखने वाले शेषस्थारकों और तथा जिनोंने बैंक/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि ईजीएम के नोटिस में निर्धारित है।
- मौलिक रूप में शेयर रखने वाले शेषस्थारक, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एवं कंप्यूटर सर्विसेस (पी) लिमिटेड के पास beotalra@gmail.com पर ईमेल भेजकर पंजीकृत करें और जिनके पास डोमेन फॉर्म में शेयर हैं तथा उन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें।
- ई-वोटिंग या वीसी के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, शेषस्थारक वरिष्ठ प्रबंधक सुशी पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर या टेलीफोन नंबर 022-48867000 और 022-24997000 पर संपर्क कर सकते हैं।
- ईजीएम/सूचना से संबंधित सभी जानकारी के लिए, शेषस्थारकों से बैंक की वेबसाइट अर्थात www.pnbIndia.in पर जाने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कुर्ते पंजाब नेशनल बैंक

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.02.2024